न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः— 9ए / 2019

प्रार्थीगणः—

1. मदनलाल पुत्र श्री पेमाराम
2. अमराराम पुत्र श्री पेमाराम
3. दीपाराम पुत्र श्री पेमाराम

   जाति नाई निवासी रेलागढ

   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः— श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा

—ःनिर्णयः—

दिनांक 12/3/19

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :— यह है कि ग्राम रेलागढ तहसील ओसियां जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 1290/1 रकबा 01 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1290/2 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1317 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा भूमि आई हुई है। प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी व काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1290 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा व प्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1290/3 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा भूमि आई हुई है। उपरोक्त भूमि पूर्व में संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:35:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जिसका खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन किया गया तथा उपरोक्त अनुसार ही प्रार्थीगण पर मौके पर काबिज है तथा प्रार्थीगण की अलग–अलग रहवासीय पक्के मकान बने हुए है। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार एक सीमांकन मौका फर्द हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 23.06.2009 को बनाई गई है। उक्त भूमि की तरमीम करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवंश नक्शे में मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत तरमीम कर दी गई। जबकि मौके पर संलग्न मौका फर्द के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहे है। मात्र नक्शा ट्रेश में तरमीम गलत हो रखी है। प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में की गई गलत तरमीम को शुद्ध करवाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 1290/1 रकबा 01 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1290/2 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1290 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा व प्रार्थी संख्या 3 के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1290/3 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा ग्राम रेलागढ तहसील ओसियां, जिला जोधपुर बाबत् मौके पर कब्जा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

उपरोक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न सीमांकन मौका फर्द का अवलोकन किया गया। नक्शा ट्रेश में की गई तरमीम सीमांकन मौका फर्द से भिन्न प्रतीत होती हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 1290/1 रकबा 01 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1290/2 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा, प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1290 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा व प्रार्थी संख्या 3 के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1290/3 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा ग्राम रेलागढ तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:35:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

ओसियां, जिला जोधपुर की तरमीम निरस्त की जाती है तथा दिनांक 23.06.2009 को हल्का पटवारी द्वारा बनाई गई सीमांकन मौका फर्द व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

उक्त फैसला आज दिनांक 12/3/19 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:35:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner